परियोजना का नामः- जनपद चमोली के अन्तर्गत गोविन्दघाट-घांघरिया-हेमकुण्ड साहिब पैदल मार्ग पर रैन, शेल्टर, म्यूलहट, गैंगहट, सुलभ शौचालय, वास आउट पैदल मार्ग, झूला पुल, ट्राली एवं हैलीपैड निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट (प्रमाण-पत्र)

प्रमाणित किया जाता है कि आज दिनांक 04 एवं 05.09.2015 को उपरोक्त प्रयोजन हेतु संयुक्त निरीक्षण किया गया। संयुक्त निरीक्षण के समय वन विभाग की ओर से श्री रघुनाथ सिंह नेगी, वन दरोगा, राजस्व विभाग की ओर से सहायक राजस्व निरीक्षक, प्रस्तावक विभाग की ओर से श्री राजेश थपलियाल, कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा संयुक्त निरीक्षण में भाग लिया गया। संयुक्त निरीक्षण के समय पाया गया कि उपरोक्त प्रयोजन हेतु आरक्षित वन भूमि 0.723 हे0, सिविल एवं सोयम वन भूमि 0.170 हे0, वन पंचायत भूमि 0.00 हे0 एवं नाप भूमि 0.00 हे0 प्रभावित होती है। इस प्रकार उपरोक्त समस्त प्रयोजन हेतु कुल 0.893 हे0 सिविल/आरक्षित वनभूमि की आवश्यकता होगी। मार्ग निर्माण हेतु अधिग्रहीत की जाने वाली भूमि की चौड़ाई 3 मी0 ली गई है एवं मार्ग का निर्माण 3 मी0 चौड़ाई में किया जायेगा। वृक्षों की सूची संलग्न है। इसके अतिरिक्त 3 नं0 म्यूलहट निर्माण हेतु 180 वर्ग मी0, 0.018 हे0, 3 नं0 रैन शेल्ब्र हेतु 60 वर्ग मी0, 0.006 हे0, 2 नं0 गैंग हट हेतु 40 वर्ग मी0, 0.004 हे0, झूला पुल निर्माण हेतु 800 वर्ग मी0, 0.080 हे0, ट्राली निर्माण हेतु 50 वग्र मी0, 0.005 हे0, हैलीपैड हेतु 1800 वर्ग मी0, 0.18 हे0 एवं 2.00 मी0 लम्बाइ में वासआउट पैदल मार्ग का 3 मी0 चौड़ाई में पुर्ननिर्माण हेतु 0.60 हे0 सिविल/आरक्षित वनभूमि की आवश्यता पड़ेगी, जो कि न्यूनतम है। इस समरेखन पर/चुने गये स्थल पर लगभग 37 वृक्ष विभिन्न प्रजाति के इस परियोजना के निर्माण से प्रभावित होंगे। उपरोक्तं प्रयोजन हेतु उपलब्ध भूमि के अतिरिक्त कोई भी विकल्प मौजूद नहीं है।

अतः परियोजना के निर्माण हेतु चयनित विकल्प संख्या प्रथम के वन भूमि के अतिरिक्त अन्य वैकल्पिक एवं उपयुक्त भूमि उपलब्ध नहीं है तथा इस चुने गये वन भूमि की मांग न्यूनतम है।

चुने गये संरेखण का प्रारम्भ होने का स्थल का जी0पी0एस0 मान 79°34'31.30" – E, 30°38'23.50" – N है। अन्तिम स्थल निर्माणाधीन हैलीपैड है, जिसका जी0पी0एस0 मान 79°36'39-11" – E, 30°41'53-38" – N है।

चयनित उपयुक्त स्थल/समरेखण किसी राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारहण्य का हिस्सा नही है । चयनित उपयुक्त स्थल/समरेखण के चयन से ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नही होगा एवं उपरोक्त निर्माण के दौरान उत्सर्जित मलवे का निस्तारण निर्माण कार्यों में ही कर दिया जायेगा।

तहसीलदार
तहसीलदार जोशीमठ।

उप जिलाधिकारी
जोशीमठ

राजस्व उप निरीक्षक
तहसील जोशीमठ
जनपद-चमोली

अमीन

जगत सिंह बिष्ट
वन दरोगा/अनुभाग अधिकारी

सहायक अभियन्ता

अधिशासी अभियन्ता
प्रां0खं0 लो0नि0वि,
गोपेश्वर

वन क्षेत्राधिकारी
फूलों की घाटी रा० पार्क रेन्ज
गोविन्द घाट (चमोली)

उप प्रभागीय वनाधिकारी
नन्दादेवी राष्ट्रीय पार्क
जोशीमठ

उप वन संरक्षक
नन्दा देवी राष्ट्रीय पार्क
जोशीमठ चमोली